कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्याः 858 /ओ0एस0डी0–कैम्प/2021 दिनांकः 04–04–2021

1–नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2–समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
3–समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, मेरठ।
4–समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, जनपद मेरठ।
5–समस्त नोडल अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
नगरीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, मेरठ (द्वारा–मु0चि0अ0–मेरठ)।

वर्तमान में मेरठ शहरी क्षेत्र में कोविड–19 संक्रमण में काफी वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जिसका मुख्य कारण संक्रमण की दृष्टि से देश के अन्य अति संवेदनशील स्थानों से काफी अधिक संख्या में यात्रियों का मेरठ आना, दिल्ली के निकट मेरठ का स्थित होना तथा दैनिक रूप से काफी अधिक संख्या में कर्मचारियों तथा व्यवसायियों का दिल्ली जाना एवं आना भी है। चालू माह अप्रैल–2021 में कोविड–19 के संक्रमण के फैलाव का विश्लेषण करने पर जनपद मेरठ में निम्नलिखित क्षेत्र अपेक्षाकृत अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं–

क0सं0	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र	अतिसंवेदनशील चिन्हित क्षेत्रों का नाम
1	कैन्ट	थापर नगर गली नं0–03, गली नं0–04, गली नं0–7, सदर आबूलेन/तेली मौहल्ला, असोडा हाऊस, सदर की सब्जी मण्डी, आबूलेन बाजार, लालकुर्ती पैठ, सदर बाजार, भैंसाली बस स्टैण्ड
2	दौराला	ए0 टू जेड कालोनी, ड्रीम सिटी
3	राजेन्द्र नगर	कैलाशपुरी, प्रीत विहार, सै0–6, शास्त्री नगर, सैन्ट्रल मार्केट
4	नंगला बट्टू	नेहरू नगर गली नं0–1, मानसरोवर, हाईडल कालोनी, सूरजकुण्ड पार्क, सूरजकुण्ड मार्केट
5	मलियाना	फाजलपुर, अनूपनगर
6	भावनपुर/रजपुरा	ग्राम स्याल
7	सरधना	ग्राम जुल्हेडा, बडी मढियायी, अशोक की लाट का बाजार,गंज बाजार
8	पल्हैडा	अंसल टाउन, शीलकुंज
9	कसेरू बक्सर	आई0 ब्लॉक गंगानगर
10	लल्लापुर	देवलोक, शम्भू नगर
11	संजय नगर	संजय नगर, चोर बाजार
12	साबुन गोदाम	जैन नगर
13	मवाना	कल्याण सिंह, हीरा लाल
14	पुलिस लाईन	सब्जी मण्डी

कोविड–19 के संक्रमितों की संख्या के आधार पर उपरोक्त क्षेत्र अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। अतः इस कारण से पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी आवश्यक है। उपरोक्त के कम में आपको निम्न निर्देश दिए जा रहे हैं–

1– कोविड–19 की गाईडलाईन के अनुसार सभी लोगों को सोशल डिस्टेन्स का पालन करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा उलंघन पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही का अनुपालन कराया जाये। समस्त स्थाई दुकानदारों/ठेला–टेम्पों वालों, अस्थाई मार्केट के दुकानदारों आदि के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाये तथा उनके द्वारा अपनी दुकानों आदि पर सोशल डिस्टेन्स का अनुपालन कराया जा रहा है, को भी समय–समय पर चैक किया जाये।

2– उक्त क्षेत्रों में स्वास्थ विभाग की टीमों द्वारा सैम्पलिंग का कार्य किया जा रहा है, उन्हे आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये। जो भी व्यक्ति कोविड–19 के संक्रमित पाऐ जा रह हैं, उनके सम्पर्क में आऐ व्यक्तियों को चिन्हित कर कर टैस्टिंग करायी जाये। इस कार्य में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से तथा कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

(के0 बालाजी)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि–

1–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

2–मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर जिलाधिकारी–नगर/समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, मेरठ (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी) को अनुपालनार्थ प्रेषित।

3–नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ/जिला पंचायतराज अधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अति संवेदनशील क्षेत्रों में गठित निगरानी समितियों से दैनिक रिपोर्ट प्राप्त करने का कष्ट करें एवं नगर निगम की समस्त कूड़ा गाडियों के माध्यम से कोविड–19 के संक्रमण की ऑडियो क्लिप चलवाकर क्षेत्र में प्रचार–प्रसार करवाऐं।

4/4

(के० बालाजी)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।